12/7/24

पत्रावली पेश हुई वकील डिक्रीदार आज
तहसीलदार सांगानेर द्वारा इजराय प्रा०पत्र
की कार्यवाही चालना रद्द की गयी है। इजराय
प्रा०पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं
है। इजराय की कार्यवाही ड्रोप की जाती है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं० से
कम हो भाइ तहसील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्रावली
अन्य
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....
को पेश हो।

मूनिक ट्रेडर्स, 250, चौड़ा रास्ता, जयपुर

डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन-पत्र

(आदेश 21 के का नियम 11)

स्थान जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी जयपुर

डिक्रीदार, इसके द्वारा नीचे दी गई डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करता है—

पक्षकारों के नाम	डिक्री की तारीख	क्या डिक्री की कोई अपील की गई है	यदि कोई संदाय या समायोजन किया गया है तो वह संदाय या समायोजन	यदि पहले कोई आवेदन किया गया है तो उसकी तारीख और परिणाम	डिक्री की रकम उस पर शोध्य ब्याज के सहित या एतद्द्वारा अनुदत्त अन्य अनुतोष प्रति डिक्री की विशिष्टियों के सहित	यदि खर्चे के लिए कोई रकम अधिनिर्णीत की गई है तो वह रकम	किसके विरुद्ध निष्पादन किया जाय	वह ढंग जिससे न्यायालय की सहायता अपेक्षित है।
2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	12.1.2024	नहीं	नहीं	नहीं	[illegible]	नहीं	[illegible]	निर्णय के अनुसार [illegible]

[illegible] घोषणा करता हूँ कि इसमें जो भी [illegible]
[illegible] ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

14.3.24

हस्ताक्षर

सत्यापन

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:31:25 IST
Reason: SelfAttested